अध्याय 3

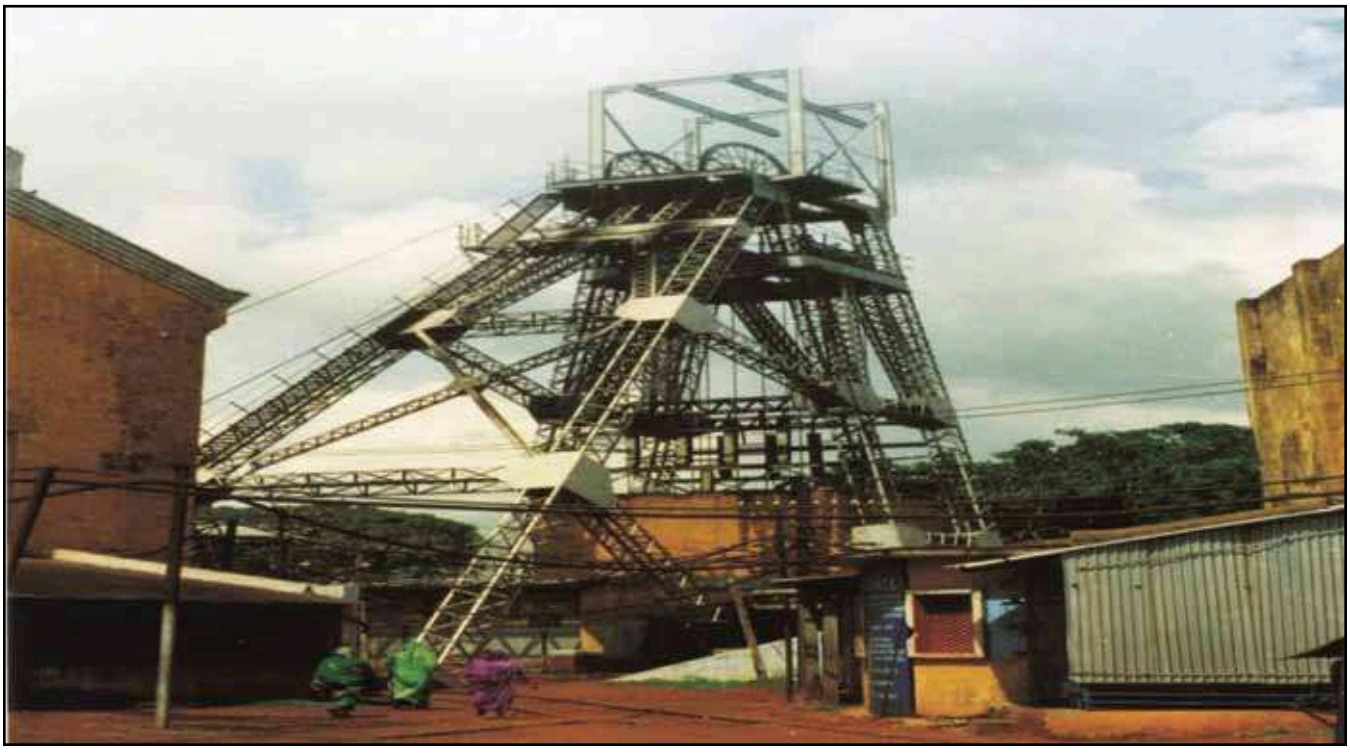

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

वार्षिक रिपोर्ट 2017–18

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोयला क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता बढ़ाने हेतु उपाय

अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजनास्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। सीएमपीडीआईएलए एमईसीएल तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान, गैर–सीआईएल ब्लॉकों के विनिर्दिष्ट लक्ष्य, वास्तविक ड्रिलिंग तथा वर्ष 2017–18 के दौरान अनुमानित ड्रलिंग तथा वित्त वर्ष 2018.19 के लिए लक्ष्य इस प्रकार है:–

गैर–सीआईएल ब्लॉक **(ड्रिलिंग लाख मीटर में)**

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	1.75	2.28	2.70
2013-14	3.62	2.38	4.39
2014-15	4.16	2.82	18.48
2015-16	4.82	2.87	1.77
2016-17	3.48	3.08	7.32
2017-18	4.99	3.92 (अनुमानित)	27.27 (अनुमानित)
2018-19	6.20		

लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कई कारण हैं जिनमें कई कोयला ब्लॉकों में एक गंभीर कानून तथा व्यवस्था की समस्या, वन अनुमोदन की अनुपलब्धता आदि।

सीएमपीडीआई विभागीय क्षमता वर्ष 2016–17 के 4.41 लाख मि.ट. से वर्ष 2017–18 में 4.75 लाख मि.ट. तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है ताकि सीआईएल और गैर–सीआईएल/कैप्टिव ब्लॉकों में बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

पिछले पांच वित्त वर्षों के दौरान, सीआईएल ब्लॉकों के वास्तविक ड्रिलिंग तथा वर्ष 2017–18 के दौरान अनुमानित ड्रिलिंग तथा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

सीआईएल ब्लॉक **(ड्रिलिंग लाख मीटर में)**

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	4.07	3.35	23.20
2013-14	5.38	4.59	37.01
2014-15	7.84	5.46	18.95
2015-16	10.18	7.02	28.57
2016-17	7.52	8.18	16.52
2017-18	7.50	8.58 (अनुमानित)	4.89 (अनुमानित)
2018-19	6.80		

कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्ष 2019–20 तक कोयले का 1 बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने हेतु कार्रवाई की गई है। अब तक वर्ष 2019–20 में लगभग 908.10 मि.टन उत्पादन करने के लिए खानों/परियोजनाओं की पहचान की गई है। वर्ष 2016–17 के दौरान 598.61 मि.ट. के लक्ष्य की तुलना में कोयला उत्पादन 554.14 मि.ट. था जो लक्षित उत्पादन का 92.57 प्रतिशत था। वर्ष 2017–18 में कोयला उत्पादन का वार्षिक योजना लक्ष्य 600 मि.ट. रखा गया है।

वर्ष 2018–19 में 1 बिलियन टन दस्तावेज के अनुसार परिकल्पित कोयला उत्पादन लक्ष्य 773.70 मि.ट. (एनईसी के उत्पादन को छोड़ कर) है तथा वार्षिक योजना प्रस्ताव के अनुसार उत्पादन लक्ष्य 630.00 मि.ट. है। वर्ष 2016–17 के दौरान समूहवार उत्पादन एवं वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के लिए अनुमान

नीचे दिए गए हैं:–

(आंकड़े मि.ट. में)

सीआईएल	2016–17		2017–18	2018–19	
	ब.अ.	वास्तविक (अनंतिम)	ए.पी. लक्ष्य	ए.पी. प्रस्ताव*	1 बि.ट. अनुमान
मौजूदा परियोजनाएं	33.58	33.79	36.36	34.43	
पूरी की गईं परि.	281.64	267.58	269.56	235.64	177.64
चल रही परियोजनाएं	281.08	245.50	289.53	353.81	502.65
भावी परियोजनाएं	2.32	1.95	0.81	0.60	93.40
गारे पाल्मा ब्लॉक	-	5.32	3.75	5.52	-
कुल	598.61	554.14	600.00	630.00	773.70

*मंत्रालय द्वारा अनुमोदन की शर्तों पर

सीसीएल में नार्थ करनपुरा, एसईसीएल की सीआईसी एवं कोरबा तथा एमसीएल में आईबी तथा तालचर कोलफील्ड से उत्पादन में व्यापक वृद्धि की परिकल्पना है।

परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

153 चालू परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी एक सुव्यवस्थित परियोजना निगरानी तंत्र द्वारा की जा रही है। इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा क्षेत्रीय स्तर पर पाक्षिक आधार पर एवं कंपनी स्तर पर मासिक आधार पर की जा रही है।

3 एमटीवाई प्रति वर्ष तथा इससे अधिक की क्षमता सहित 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है। इसके अलावा, 150 करोड़ रुपए तथा इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा की जाती है ।

राज्य स्तर एवं केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित मामलों के समाधान के लिए कोयला मंत्रालय में एक ऑनलाइन कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल (सीपीएमपी) की स्थापना की गई है। मंत्रालय कोयला परियोजना निगरानी पोर्टल (सीपीएमपी) पर प्राप्त अद्यतन सूचनाओं के माध्यम से चल रही परियोजनाओं की निगरानी करता है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल सचिवालय की पीएमजी बेवसाइट द्वारा प्रबंधित पोर्टल के माध्यम से पीएमजी इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है।

कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सीआईएल में नई परियोजनाएं शुरू करने पर लगातार बल दिया जा रहा है। माइन डेवलपर ऑपरेटर (एमडीओ) मार्ग/आउटसोर्सिंग के माध्यम से नई परियोजनाओं के विकास के लिए पहलें की गई है। न केवल नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं बल्कि विद्यमान एवं चल रही परियोजनाओं में जहां संभव है क्षमता विस्तार किया गया है। कुछ मौजूदा खानों को बेहतर प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए पुनर्गठित भी किया गया है।

सीआईएल ने 2019–20 तक 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 65 भावी परियोजनाओं की पहचान भी की है। अब तक 110.29 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता तथा 25384.42 करोड़ रुपए की पूंजी वाली 23 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

वर्ष 2017–18 के दौरान सीआईएल की चल रही परियोजनाओं से कोयले का लक्षित उत्पादन 289.53 मिलियन टन था

(संदर्भ कोयला मंत्रायल की वार्षिक योजना, 2017–18, कोयला मंत्रालय)। वर्ष 2018–19 की वार्षिक योजना प्रस्ताव के अनुसार सीआईएल ने इन परियोजनाओं से 353 मिलियन टन उत्पादन की परिकल्पना की है जिसमें परिणामस्वरूप चालू परियोजनाओं से 64.28 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

सीआईएल के संबंध में मुख्यतः चार सहायक कंपनियों अर्थात एसईसीएल, एमसीएल, सीसीएल तथा एनसीएल से मौजूदा परियोजनाओं से उत्पादन में वृद्धि की परिकल्पना है। 153 मौजूदा परियोजनाओं में से 97 परियोजनाओं के लिए मंजूरियां उपलब्ध हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 352.03 एमटी है। इन 97 परियोजनाओं से वर्ष 2016–17 में 207.71 एमटी का उत्पादन हुआ है।

223.00 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली शेष 55 परियोजनाओं को अपनी योजनाबद्ध उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए मंजूरियों की आवश्यकता होगी। तथापि वन भूमि के संबंध में प्राप्त आंशिक मंजूरियों के परिणामतः इन परियोजनाओं से वर्ष 2016–17 के दौरान 41.40 एमटी उत्पादन हुआ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- अत्याधुनिक मशीनीकरण के साथ उच्च क्षमता वाली खानों की योजना बनाई जा रही है।
- भौगोलिक खनन स्थितियों पर निर्भर करते हुए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों ही प्रकार की खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- कार्यकुशलता को बेहतर बनाकर एवं आधुनिकीकरण करके क्षमता संबंधी उपयोग को बेहतर बनाया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं का समयबद्ध आधार पर कार्यान्वयन का सुनिश्चय करना।
- ईपी अधिनियम, 2006 के तहत विशेष प्रयासों से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- मंत्रालयों एवं राज्य सरकार से संबंधित परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों की प्रभावी निगरानी एवं बातचीत
- एमडीओ मोड के अंतर्गत खनन हेतु परियोजनाएं तैयार की जाती हैं।
- भविष्य में उत्पादन एवं निकासी में नियोजित वृद्धि बनाए रखने के लिए सीआईएल ने एसईसीएल, एमसीएल तथा सीसीएल में 03 प्रमुख रेल अवसंरचना परियोनाएं शुरू की हैं जिनका निष्पादन भारतीय रेल प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी एवं सतत सहायता।

सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण

यूजी खानों सहित सीआईएल खानों में मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता तथा और अधिक आधुनिकीकरण की गुंजाइश का आकलन करने के लिए मैसर्स केपीएमजी द्वारा अध्ययन किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कार्यान्वयन हेतु जांच के अधीन है।

इसके अलावाए भूमिगत कोयला खनन समस्याओं, संभाव्यता, प्रौद्योगिकी, आधुनिकीकरण, उत्पादन एवं सुरक्षा संबंधी अध्ययनश के लिए आईआईटी–आईएसएम (धनबाद), एससीसीएल एवं पीडब्ल्यूसी का परिसंघ नियुक्त किया गया है जो सीआईएल की 90 भूमिगत खानों का अध्ययन कर रहा है। अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/आबंटन रद्द की गईं कोयला खानों का आबंटन

(i) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गईं 204 कोयला खानों का आबंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अब तक 89 कोयला खानों का आबंटन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन 89 कोयला खानों में से 31 कोयला खानों का आबंटन ई–नीलामी के जरिए (निजी कंपनियों को 30 तथा सरकारी कंपनी को 01) किया गया है और 58 कोयला खानों का आबंटन सरकारी कंपनियों को किया गया है।

इन 89 कोयला खानों का क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है– नियंत्रित क्षेत्र अर्थात् विद्युत को 50 कोयला खानें, नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात् लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव

विद्युत को 26 कोयला खानें तथा कोयले की बिक्री हेतु 13 कोयला खानें।

आबंटित 89 कोयला खानों का विवरण अनुबंध – क में संलग्न है

(ii) (क) केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट अन्त्य उपयोग 'उर्वरक का उत्पादन' के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8 (2) (क) (II) तथा नियम 11 (1) के अंतर्गत नार्थ आफ अरखापॉल श्रीरामपुर (उत्तरी भाग) के 50 प्रतिशत के आबंटन हेतु नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को दिनांक 27.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन के तहत निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) 89 आबंटित कोयला खानों में से अभी तक आबंटित 81 कोयला खानों की नीलामी एवं आबंटन से खान/लीज अवधि के दौरान 3.94 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान लगाया गया है जो पूर्ण रूप से कोयलाधारी राज्यों का होगा। शेष कोयला खानों से प्राप्त होने वाली अनुमानित राजस्व को निष्कर्षणीय भंडार में कमी के कारण उपरोक्त 3.94 लाख करोड़ रु. में शामिल नहीं किया गया है।

(iv) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों और तत्पश्चात् उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोयला की बिक्री हेतु कोयला खानों की नीलामी की जाएगी। तदनुसार कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयले की बिक्री हेतु कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी के लिए पद्धति संबंधी सीसीईए नोट सीसीईए के विचार हेतु 26/27 अक्तूबर, 2017 को मंत्रिमंडल सचिवालय को भेजी गई थी। सीसीईए द्वारा पद्धति के अनुमोदन के पश्चात् कोयले के बिक्री हेतु कोयला खानों की नीलामी की जाएगी।

(v) मंत्रालय ने एक कार्य पद्धति तैयार किया है ताकि जनहित में अन्त्य उपयोग एवं लागत कुशलता हासिल करने हेतु कोयला खानों की ईष्टतम उपयोगिता हेतु कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आबंटित कोयला खानों से निकाले गए कोयले की उपयोगिता में कोयला ब्लॉक आबंटिती पीएसयू को कुछ छुट प्रदान किया जाए।

अनुबंध –क

89 कोयला खानों का आबंटन का विवरण

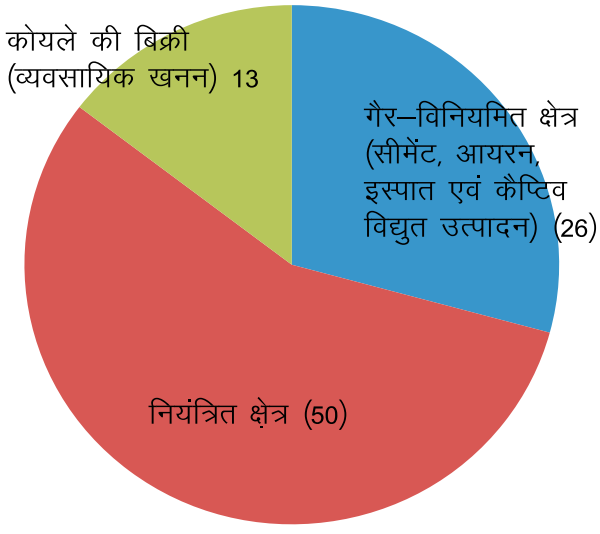

नीलामी की गई कोयला खानें : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अंतर्गत नीलाम की गई 17 अनुसूची II कोयला खानों (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थी) में से 12 कोयला खानों में खान प्रचालन प्रारंभ हो चुका है/प्रचालन की अनुमति दे दी गई है। शेष अनुसूची प्प कोयला खानों को प्रचालन हेतु विभिन्न अनापत्तियों की प्रतीक्षा है। इसके अलावा, 14 अनुसूची III कोयला खानों में से 1 कोयला खान को खनन प्रचालन की अनुमति दे दी गई है। शेष अनुसूची III कोयला खानों का प्रचालन 2018 से होना निर्धारित है क्योंकि वे आबंटन के समय प्रचालन में नहीं थी। 3 अनुसूची III (1 प्रचालन सहित) कोयला खानें निर्धारित समय–सीमा से आगे चल रही हैं।

आबंटित कोयला खानें : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू/जेनको) को आबंटित 18 अनुसूची II कोयला खानों (कोयला खानें जो निरस्तीकरण के समय प्रचालन में थी) में से आज की स्थिति के अनुसार 3 कोयला खानें प्रचालन में हैं/खान प्रचालन शुरू हो गया है। शेष अनुसूची II कोयला खानों को प्रचालन हेतु विभिन्न अनापत्तियों/निर्णयों की प्रतीक्षा है। 35 कोयला खानों (25 अनुसूची III + 10 अनुसूची I) में से 2 कोयला खानों को खान प्रचालन की अनुमति मिल गई है। अनुसूची III तथा I

कोयला खानों का प्रचालन 2018 से होना निर्धारित है क्योंकि वे आबंटन के समय प्रचालन में नहीं थी। 8 अनुसूची III/ अनुसूची–I कोयला खानें निर्धारित समय–सीमा से आगे चल रही हैं।

दिसम्बर, 2017तक सृजित कुल राजस्व 4259.52 करोड़ रु. (रायल्टी कर, उपकर आदि को छोड़ कर) है।

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015के अंतर्गत प्रारंभ से नवंबर, 2017तक कुल उत्पादित कोयला 38.03 मि.ट. है।

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए मुआवजा भुगतान की राशि 944,69,37,538 रु. है तथा वर्ष 2017–18 (दिसम्बर, 2017तक) के लिए 1,96,79,26,042.7 रु. है।

एमएमडीआर अधिनियम के अधीन कोयला/ लिग्नाईट ब्लॉकों का आबंटन

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) के उपबंधों तथा कोयला खान नियमावली, 2012की प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी (एसीबीसीएम नियम) के अंतर्गतसरकारी कंपनियों (केंद्रीय/राज्य) को 13 कोयला ब्लॉकों (अन्त्य उपयोग हेतु 11 तथा वाणिज्यिक खनन हेतु 2) का आबंटन किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी लि. को आबंटित गोंडबहेरा उझेनी कोयला ब्लॉक का आबंटन 25.09. 2017 से निरस्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में एमएमडीआर अधिनियम, 1957के उपबंधों के अंतर्गत 12 कोयला ब्लॉक आबंटित हैं। गुजरात राज्य पीएसयू (अन्त्य उपयोग हेतु 1 तथा वाणिज्यिक खनन हेतु 2) को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के उपबंधों तथा एसीबीसीसएम नियम, 2012के अंतर्गत 3 लिग्नाइट ब्लॉकों का आबंटन भी किया गया है।

10 कोयला ब्लॉकों के लिए कोयला ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार (सीबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा 1 लिग्नाइट ब्लॉक के लिए लिग्नाइट ब्लॉक विकास एवं उत्पादन करार (एलबीडीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं आबंटिती सरकारी कंपनियों के बीच सीबीडीपीए/एलबीडीपीए पर हस्ताक्षर हुआ है तथा यह कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की समुचित मॉनीटरिंग एवं विकास सुनिश्चित करता है।

कोयला ब्लॉक आबंटन नियमावली, 2017 (सीबीए नियमावली) 13.07.2017 को अधिसूचित की गई थी जिससे एसीबीसीएम नियमावली, 2012 निरस्त हो गई। तथापि, एसीबीसीएम नियमावली, 2012 के अंतर्गत पहले से ही किए गए आबंटनों को सीबीए नियमावली, के अंतर्गत बनाए रखा गया है। सीबीए नियमावली के नियम 17 में उल्लेख है कि एसीबीसीएम नियमावलियों के अंतर्गत की गई कोई भी कार्रवाई को किया गया समझा जाएगा अथवा इन नियमावली के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत समझा जाएगा तथा एसीबीसीएम नियमावली, 2012 के अंतर्गत लंबित कोई भी आबंटन प्रक्रिया जारी रहेगी तथा कोयला ब्लॉकों के अंतिम आबंटन के पश्चात् शेष प्रक्रिया एवं शर्तें सीबीए नियमावली के तदनुरूपी उपबंधों के अंतर्गत् लागू होगी। इस प्रकार एमएमडीआर अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत् आबंटित कोयला/लिग्नाइट ब्लाकों का आबंटन सीबीए नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। अभी तक सीबीए नियमावली के अंतर्गत किसी भी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक का आबंटन नहीं किया गया है।

गुणवत्ता और थर्ड पार्टी सैंपलिंग– हाल के निर्णय

ग्रेडों में स्लीपेज पैदा होने के कारण घोषित ग्रेड एवं विश्लेषित ग्रेड में अंतर को कम करने हेतु सीसीओ को प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से 871 खानों (सीम/साइडिंगों/साइज फ्रैक्शनों के सैंपल लेने तथा परिणामों के आधार पर वर्ष 2017–18 के लिए ग्रेड को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया था। ग्रेडों की अंतिम घोषणा में 177 खानों को डाउनग्रेड किया गया था जिसमें साइडिंग सहित 355 साइज फ्रैक्शन शामिल है जबकि लगभग 40 खानों को अपग्रेड किया गया था जिसमें साइडिंग सहित 67 साइज फ्रैक्शन शामिल है। 01 अप्रैल, 2017से संशोधित ग्रेडों के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा इनवाइस बनाए जाते हैं।

कोयला गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं (विद्युत उपयोगिताओं) के सरोकारों का समाधान करने के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई थी। लदान केंद्रों पर कोयले की सैंपलिंग एवं परीक्षण के लिए आपूर्तिकर्ता (कोयला कंपनियां), क्रेता (विद्युत उपयोगिताएं) तथा सीआईएमएफआर के बीच त्रि–पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। क्रेता एवं विक्रेता द्वारा सैंपलिंग एवं कोयला परीक्षण प्रभार समान रूप से वहन किया जाना है। अभी तक सीआईएमएफआर ने वार्षिकी आधार पर 513 मि.ट. के लिए त्रि–पक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया है जिसमें से एफएसए के अंतर्गत विद्युत उपयोगिताओं को 94 प्रतिशत आपूर्ति कवर करते हुए लगभग 492 मि.ट. के लिए सैंपलिंग जारी है।

लिंकेज नीलामी के माध्यम से कोयला प्राप्त करने वाले गैर–विद्युत उपभोक्ताओं तथा विद्युत हेतु विशेष फारवर्ड नीलामी के अंतर्गत विद्युत उपयोगिताओं को आपूर्ति हेतु सैंपलिंग सुविधा प्रदान करने

के लिए क्यूसीआई तथा आईआईटी–आईएसएम को नियुक्त किया गया है। क्यूसीआई तथा आईएसएम दोनों ने सीआईएल की विभिन्न सहायक कंपनियों तथा उपभोक्तओं के साथ त्रीपक्षीय करार पर हस्ताक्षर कराना शुरू कर दिया है। क्यूसीआई ने कोयला कंपनियों ने कोयले के संग्रहण एवं विश्लेषण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

अनुमोदन के पश्चात् निम्नलिखित श्रेणियों के लिए थर्ड पार्टी सैंपलिंग कवर करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

(I) गैर–विद्युत एफएसए

(II) एसएनए को कोयला आपूर्ति

(III) स्पॉट ई–नीलामी

(IV) विशेष स्पॉट नीलामी

(V) विशिष्ट ई–नीलामी

अब कोयला स्रोतों से उपभोक्ताओं को कोयले के सभी प्रेषणों पर थर्ड पार्टी गुणवत्ता वैधता उपलब्ध है। यह निर्देश दिया गया है कि विद्युत उपयोगिताएं तथा कोयला कंपनियां गत महीने के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले के सभी परिणामों के लिए प्रत्येक माह की 5 तारीख तक (अथवा अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन) ग्रेड निर्धारण करेगी।

कोयला गुणवत्ता सुनिश्चित करने, ग्रेड स्लीपेज विपथन नियंत्रण करने तथा नामित रेफरी लेबोरेट्रीज द्वार रेफरी सैंपल के परिणाम घोषित करने हेतु 15 दिन की समय–सीमा के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

कोयला मंत्रालय ने अनुकूल परिस्थिति अर्थात् क्रशर्स/पुलवराइजर, स्पेस, सीसीटीवी आदि प्रदान करने हेतु उच्च प्राथमिकता का निर्देश दिया है।

कोयला लिंकेजों का युक्तीकरण : चूंकि वर्ष 2015–16 से टीपीपी के लिए कोयले की आपूर्ति स्रोत का युक्तिकरण करना एमओसी/सीआईएल की प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहा है ताकि कठिन परिस्थितियों में परिवहन लागत तथा उपलब्धियों को ईष्टतम किया जा सके। वर्ष 2017 में निम्नलिखित टीपीपी का युक्तिकरण किया गया है जिससे परिवहन लागत में 774 करोड़ रु. की अनुमानित वर्षिक बचत होगी।

संयंत्र	मात्रा	अनुमानित बचत
महाजेनको	5.04 एमटी	415 करोड़ रु.
एचपीजीसीएल	1.33 एमटी	50 करोड़ रु.
एपीसीपीएलए झज्जर	1.13 एमटी	31 करोड़ रु.
जीएसईसीएल	3.0 एमटी	240 करोड़ रु.
यूपीआरवीयूएनएल	1.2 एमटी	36 करोड़ रु.
डब्ल्यूबीपीडीसीएल	1.2 एमटी	2 करोड़ रु. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल के अनुसार)

पुराने संयंत्रों को हटाते हुए उन्हें प्रदान किए गए कोयला लिंकेजों/एलओए का उनके स्थान पर नए संयंत्रों को स्वतः अंतरणः

पुराने संयंत्रों को हटाने के मामले में लिंकेजों को उनके स्थान पर नए संयंत्रों को अंतरित करने संबंधी नीतिगत मुद्दें पर एसएलसी (एलटी) की दिनांक 27.06.2014 को हुई बैठक में विचार–विमर्श किया गया था। समिति ने 13वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक भिन्न अंतराल पर लगाए जाने वाले नए संयंत्र जो 14वीं योजना में भी जा सकते है, के मामले में विद्युत मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय लियाः–

(i) पुराने संयंत्रों को प्रदान की गई एलओए/लिंकेज नजदीकी सुपर क्रिटिकल क्षमता के नए संयंत्र को स्वतः अंतरित हो जाएंगे।

(ii) यदि नए सुपर क्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र से अधिक है तो अतिरिक्त कोयले की प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते कि सीआईएल से सर्वोत्तम प्रयास आधार पर कोयला उपलब्ध हो।

(iii) नए सुपर क्रिटिकल संयंत्रों की कम से कम 50 प्रतिशत क्षमता हटानी होगी। पुराने संयंत्रों को प्रस्तावित सुपर क्रिटिकल क्षमता के न्यूनतम 50 प्रतिशत बेंचमार्क हासिल करने के लिए जोड़ा जा सकता है।

(iv) यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र में पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों के लिए लागू होगी जिन्हें दीर्घकालिक लिंकेज/एलओए पहले ही दी जा चुकी है।

(v) उपरोक्त के अनुसार एलओए का स्वतः अंतरण तभी अनुमेय होगा जब नए संयंत्र को उसी राज्य में स्थापित किया जाए जहां पुराना संयंत्र स्थित था और पुराना संयंत्र वास्तविक रूप से हटाया गया था। नए संयंत्र के सीओडी तक पुराने संयंत्र प्रचालन में रहेंगे।

तथापि बाद में मद सं. 5 में यह संशोधन किया गया कि केंद्रीय क्षेत्रक के ताप विद्युत संयंत्र के लिए हटाए गए संयंत्रों के लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण को राज्य जहां पुराना संयंत्र स्थित था, के बाहर नए संयंत्र के लिए अनुमति होगी।

एसएलसी (एलटी) ने दिनांक 29.03.23017 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिश कीः–

(क) बदरपुर टीपीपी सेविंध्याचल एवं कटवा टीपीपी को कोयला लिंकेज का अंतरण

(क) 4X110 मे.वा. प्रत्येक पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पीटीपीएस) के मौजूदा कोयला लिंकेज का पीटीपीएस में प्रस्तावित 1X800 मे.वा. सुपर क्रिटिकल यूनिट को अंतरण

कोयला लिंकेजों की पारदर्शी नीलामी

(क) गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए कोयला लिंकेजों की नीलामी

दिनांक 15.02.2016 को कोयला मंत्रालय ने गैर–विनियमित क्षेत्र को कोयला लिंकेजों की नीलामी हेतु नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किए थे। नीतिगत दिशा–निर्देश के अनुसार गैर–विनियमित क्षेत्र अर्थात् सीमेंट, इस्पात/स्पांज आयरन, एल्यूमिनियम तथा अन्य (उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र को छोड़ कर) तथा उनके कैप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) के लिए लिंकेजों/एलओए के सभी आबंटन अब से नीलामी आधारित होंगे।

तदनुसार सीआईएल गैर–विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत स्पांज आयरन, सीमेंट, सीपीपी, अन्य (नॉन कोकिंग), इस्पात (कोकिंग) तथा अन्य (कोकिंग) उप–क्षेत्रकों के लिए लिंकेजों की नीलामी करता रहा है। नीलामी की परिकल्पना समान अवसर पैदा करते हुए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर लिंकेज आबंटन हेतु पारदर्शी प्रणाली के रूप में की गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विपणन भागीदारों को कोयला लिंकेज हासिल करने में उचित अवसर मिले, आकार कोई भी हो।

विभिन्न उपभोक्ता अनुकूल उपाय जैसे कि थर्ड पार्टी सैंपलिंग, एक्जिट ऑप्शन, नो परफरमेंश इंसेटिव, विनिर्दिष्ट खान/साइडिंगों से डिलीवरी, आपात स्थिति में बैकअप माइनभी शुरु की गई हैं। एफएसए की अवधि 5 साल है जिसे आपसी सहमति के आधार पर अतिरिक्त 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नीलामी के तीन दौर पहले ही संपन्न किए जा चुके हैं जिसमें 9.64 प्रतिशत गैर–विद्युत अधिसूचित मूल्य के औसत प्रीमियम पर 45.18 मि.ट. वार्षिक कोयला लिंकेज बुक किया जा चुका है।

(ख) शक्ति ख (ii) तथा ख (iii) के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र को कोयला लिंकेजों की नीलामी

दिनांक 22.05.2017 को कोयला मंत्रालय ने विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए भविष्य में पारदर्शी तरीके से कोयला लिंकेजों के आबंटन हेतु एक नई नीति बनाई है। इस नीति का नाम 'भारत में पारदर्शी तरीके से कोयले का उपयोग एवं आबंटन की योजना'(शक्ति) है।इस नीति से कई प्रबलित परिसंपत्तियों के समाधान में सकारात्मक योगदान मिलेगा। नीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः–

क) विद्युत संयंत्रों को पारदर्शी एवं उद्देश्यपरक तरीके से कोयले की उपलब्धता

ख) आईपीपी को लिंकेजों का आबंटन नीलामी आधार पर

ग) विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को लिंकेज उपलब्ध न होने के कारण दबाव घटेगा जोकि अवसंरचना एवं बैंकिंग क्षेत्र के लिए अच्छा है।

घ) पीपीए धारकों को लिंकेज हेतु टैरिफ में कमी अर्थात् डिस्काम्स/उपभोक्ताओं को कम टैरिफ का सीधा लाभ

नीति के पैरा ख (ii) के अनुसार स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीएस) जिन्होंने घरेलू कोयला आधारित विद्युत क्रय करार पहले ही संपन्न किया है, को सीआईएल/एससीसीएल द्वारा अधि ासूचित मूल्य पर नीलामी आधार पर कोयला लिंकेज प्रदान किए जाएंगे तथा बोली मानदंड इच्छुक आईपीपीज द्वारा मौजूदा टैरिफ पर लेबलाइज्ड छूट होगी। इससे आईपीपी को अपनी रूचि के स्रोत से कोयले की दीर्घावधिक आपूर्ति सुरक्षा वाली विन–विन स्थिति के परिणाम की आशा है जबकि उपभोक्ताओं को कम टैरिफ से लाभ होगा। शक्ति ख (ii) के अधीन लिंकेज नीलामी 11 से 13 सितंबर, 2017 तक सफलतापूर्वक संपन्न हुई जिसमें 27.18 मि.टन वार्षिक लिंकेज बुक किए गए हैं।

नीति के पैरा ख (iii) के अनुसार बगैर पीपीए वाले आईपीपी/विद्युत उत्पादकों को लिंकेज नीलामी आधार पर प्रदान किए जाएंगे जहां नीलामी पद्धति वही होगी जो गैर–विनियमित क्षेत्र के लिए अपनाई जाने वाली लिंकेज नीलामी के लिए होती है। बोलीदाता कोयला कंपनी की अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम के लिए बोली लगाएगा। कोयला निकासी केवल वैध दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक पीपीए वाले डिस्काम्स/राज्य

नामित एजेंसियों (एसडीए) के लिए अनुमेय होगा जिसे सफल बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के 2 वर्ष के भीतर हासिल एवं प्रस्तुत करना होगा। शक्ति ख (पपप) का कार्यान्वयन वर्तमान में चल रहा है।

ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्र तथा राज्यों के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत तथा गैर–विद्युत दोनों क्षेत्रों में) के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं जिन्हें कोयला खान/ब्लाक आबंटित किये गए हैं। 'ब्रिज लिंकेज' केंद्र तथा राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग वालेसंयंत्रों की कोयला आवश्यकता तथा एमएमडीआर अधिनियम के अधीन आबंटित अनुसूची–III कोयला खानों से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बीच अंतर को पाटने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा। अभी तक केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में 29 ताप विद्युत संयंत्रों को तथा 1 सीपीपी युनिट को ब्रिज लिंकेज प्रदान किया गया है।

कोयले की धुलाई

सीआईएल 15 वाशरियों, 12 कोकिंग कोयला तथा 3 नॉन–कोकिंग सहित कुल 36.8 एमटीवाई क्षमता का प्रचालन कर रही है जिसमें से 23.3 एमटीवाई कोकिंग कोयला तथा 13.50 नॉन–कोकिंग कोयला है। 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित तापीय विद्युत स्टेशनों को 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति हेतु पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सीआईएस ने 67.5 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 09 नई नॉन–कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना हेतु योजना बनाई है। इन वाशरियों को दिसम्बर, 2020 तक स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, धुले हुए कोकिंग कोयले की मात्रा में वृद्धि करने हेतु 28.10 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 9 नई कोकिंग कोल वाशरियां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं ताकि कोकिंग कोयले के आयात को कम किया जा सके। दूसरे चरण में सीआईएल ने अपनी मौजूदा कोकिंग कोल वाशरियों को आधुनिक बनाने की योजना बनाई है। सीआईएल अपने उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता प्रतिबद्धता के अनुरूप डि–शेलिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

आग धंसाव तथा पुनर्वास क्षेत्रों के समाधान के लिए मास्टर प्लान

अगस्त, 2009 में सरकार ने एक व्यापक मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है जो कार्यान्वयनाधीन है ताकि झरिया एवं रानीगंज कोलफील्ड्स के पुराने खनित क्षेत्र में पुनर्वास, आगतथा धंसाव के मुद्दें का समाधान किया जा सके। संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियां अर्थात् झरिया के लिए जेआरडीए और रानीगंज के लिए एडीडीए प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए नोडल एजेंसी हैं। मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित परिव्यय 9773.84 करोड़ रु. (झरिया–7112.11 करोड़ रु. तथा रानीगंज – 2661.73 करोड़ रु.) है।

झरिया के मामले में सभी 575 अभिज्ञात स्थानों का जनांकिकी सर्वेक्षण कराया गया है। विभिन्न स्थानों पर 2.18 वर्ग कि.मी. में आग फैला हुआ है आग प्रभावित 42 स्थानों पर आग बुझाने हेतु कार्रवाई योजना 3 चरणों में कार्यान्वित की जानी है। बीसीसीएल परिवारों के लिए 15852 घरों में से 6668 घरों का निर्माण किया जा चुका है तथा 1200 घर लगभग पूर्णता के चरण में है तथा 3196 बीसीसीएल परिवार पहले ही शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसी प्रकार जेआरडीए ने गैर–बीसीसीएल परिवारों के लिए लगभग 4000 क्वार्टरों का निर्माण किया है तथा लगभग 2100 परिवारों को प्रभावित क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट किया है। जेआरडीए 6000 अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण कर रहा है।

रानीगंज कोलफील्ड्स के मामले में सभी स्थानों पर आग बुझा दी गई है। सभी ईसीएल परिवारों को अस्थायी क्षेत्रों से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एडीडीए ने 160 फ्लैटों का निर्माण शुरू किया है तथा पश्चिम बंगाल के आवास विभाग द्वारा और 2300 फ्लैटों का निर्माण शुरू किया गया है।

भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। 31.03. 2017 की स्थिति के अनुसार सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर मॉनीटर की जा रही परियोजनाओं के संबंध में वर्ष 2016–17 के लिए उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

भूमि पुनरुद्धार की स्थिति

(वर्ष 2016–17 तक)

क्र.सं.	कंपनी	उत्खनित भूमि	पुनरुद्धार की गई भूमि (हे.)		कुल पुनरुद्धार की गई भूमि (हे.)
			जैविक	तकनीकी	
1	डब्ल्यूसीएल	12462.24	4410.64	5496.18	9906.82
2	एसईसीएल	11620.81	5552.29	3813.7	9365.99
3	एनसीएल	11697.00	5496.00	3261.00	8757.00
4	एनसीएल	5703.1	1553.61	2159.08	3712.69
5	सीसीएल	8050.44	3112.53	2714.63	5827.16
6	बीसीसीएल	1830.58	324.03	1186.49	1510.52
7	ईसीएल	2631.05	635.07	1393.07	2028.14
8	एनईसी	279.29	118.57	120.92	239.49
		54274.51 (100%)	**21202.74 (39.06%)**	**20145.07 (37.1%)**	**41347.81 (76.1%)**

वर्ष 2017–18 के संबंध में इमेज व्याख्या तथा विश्लेषण का कार्य चल रहा है और मार्च, 2018 के अंत तक अंतिम संकलन के बाद विश्लेषण के परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल):

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं को जारी की गईं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों की शर्तों में एक शर्त यह निर्धारित की है कि ''भूमि उपयोग पद्ध ति की मॉनीटरिंग करने के लिए तथा खनन के उपरांत भूमि के उपयोग के लिए परियोजना के शुरू होने से पहले खान की कार्यावधि समाप्त होने तक कोर ओर वफर जोन की उपग्रह इमेजनरी (1:5000 के स्केल पर) आधारित भूमि के उपयोग संबंधी समय सीरीज नक्शे 3 वर्षों में एक बार तैयार किए जाएंगें।किसी सीजन विशेष के लिए जो समय–सीरीज के अनुरूप हो और इसकी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा बंगलौर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।''

इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला खनन कंपनियों को यह सलाह दी थी कि सभी ओपनकास्ट खानों को उपग्रह निगरानी के अधीन लाया जाए ताकि भूमि के उद्धार की समय–समय पर मानीटरिंग की जा सके।

तदनुसार सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड सैटेलाइट इमेजनरी नक्शों के माध्यम से भूमि उपयोग पद्धति की मानीटरिंग करने की शर्त का अनुपालन कर रही है तथा पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय को तीन वर्षों में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

अधिकांश ओसी परियोजनाएं रिले परियोजनाओं के रूप में प्रचालित की जा रही हैं तथा बैक फिलिंग प्रचालन अभी भी सक्रिय चरण में है। बैक फील्ड क्षेत्रों का जैविक पुनरुद्धार अनुमोदित खनन योजनाओं की अनुसूची के अनुसार अंतिम प्रोफाइल प्राप्त होने के पश्चात् शुरू किया जाएगा।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न विकास कार्यकलाप कर रही हैं। लोक उद्यम विभागके नवीनतम दिशा–निर्देशों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के आधार पर सीआईएल की सीएसआर नीति के अधीन निधियों का आबंटन किया जाता है। सीआईएल की सहायक कंपनियों के लिए सीएसआर निधियां कंपनी के विगत तीन वित्त वर्ष के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत अथवा गत वर्ष के कोयला उत्पादन का 2 रु.प्रति टन जो भी अधिक हो, के आधार पर आबंटित की जाती है। सीआईएल (स्टैंड अलोन) के लिए सीएसआर निधियों का आबंटन विगत तीन वित्त वर्षों के लिए सीआईएल (स्टैंड आलेन) की औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत अथवा विगत वर्ष के सीआईएल के

कुल समेकित उत्पादन का 2 रु. प्रति टन, जो भी अधिक हो, के आधार पर किया जाता है।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सीएसआर सांविधिक प्रावधान तथा उपयोग की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कंपनी–वार ब्यौरा

आंकड़े करोड़ रु. में

कंपनी	2014–15		2015–16		2016–17		2017–18 (अनंतिम)	
	सांविधिक प्रावधान	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	उपयोग की गई	सांविधिक प्रावधान	उपयोग की गई (30.11.17 तक)
ईसीएल	27.72	24.86	33.17	62.61	29.19	21.62	28.21	4.09
बीसीसएल	30.80	14.33	33.00	50.67	26.85	11.45	10.63	2.57
सीसीएल	47.86	48.87	53.00	212.79	55.90	30.29	52.72	2.11
डब्ल्यूसीएल	7.97	20.15	8.66	65.27	8.68	10.81	0.00	4.77
एसईसीएल	129.97	40.43	127.68	270.85	120.24	42.50	93.30	71.21
एमसीएल	113.97	61.30	112.97	184.64	113.36	166.60	122.85	136.25
एनसीएल	80.28	61.77	76.60	153.97	74.23	77.33	74.00	19.34
सीएमपीडीआईएल	0.63	1.68	0.46	2.01	0.78	1.02	0.96	0.00
सीआईएल तथा एनईसी	24.04	24.72	19.69	73.26	13.52	128.05	7.89	14.34
कुल	**463.24**	**298.11**	**465.23**	**1076.07**	**442.75**	**489.67**	**390.56**	**254.68**

विभिन्न विषयों के अंतर्गत् चालू वित्त वर्ष के दौरान शुरू की गई/नियोजित प्रमुख सीएसआर कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :–

1. स्वास्थ्य देखभाल

क. थेलीसीमिया के बेहतर उपचार एवं प्रबंधन के लिए सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा 200 रोगियों का बोनमैरो ट्रांसप्लांट कराने हेतु प्रतिरोगी 10 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

ख. सीसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से अंतिम छोर तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करने के साथ देवघर, झारखंड में सावन महोत्सव के दौरान एक बृहद चिकित्सा कैंप का आयोजन।

2. स्वच्छता

क. एकल घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण के माध्यम से ओडीएफ (खुले शौच मुक्त) अभियान को समर्थन

i. सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल में 5658 आईएचएचएल

ii. सीसीएल द्वारा झारखंड के तीन जिलों को ओडीएफ किए जाने हैं।

iii. एसईसीएल द्वारा कोरबा जिले में 5946 आईएचएचएल बनाए जाने हैं।

ख. दिनांक 16 से 31 अगस्त, 2017 के दौरान स्वच्छता के संदेश का प्रचार करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन। निम्नलिखित कार्यकलाप किए गए थे:–

i. पौधा रोपण – 4.92 लाख पेड़ (अधिकांशतः फलधारी) लगाए गए थे।

ii. स्कूलों एवं अस्पतालों की सफाई – कुल 880 प्रतिष्ठानों की सफाई की गई थी।

iii. गांव एवं सड़कों की सफाई – कुल 9943 डस्टबीन लगाए गए थे।

iv. स्वच्छता अभियान एवं आईईसी कार्यकलाप किए गए थे।

3. शिक्षा

क. सीसीएल तथा बीसीसीएल की लाल– लाडली स्कीम के अंतर्गत इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में बैठने वाले मेधावी छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं बोर्डिंग/लॉजिंग

ख. ईसीएल द्वारा मुग्मा में स्कूल भवन का निर्माण

ग. एमसीएल द्वारा आंगुल में मेडिकल कॉलेज (महानदी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज एंड रिसर्च) का निर्माण।

4. कौशल विकास

क. सीएमपीडीआईएल द्वारा रांची में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए हॉस्टल भवन तथा कम्प्यूटर केंद्र सहित कौशल विकास सुविधा की स्थापना

ख. एसईसीएल द्वारा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में जनजातीय युवाओं को क्षमता निर्माण प्रशिक्षण

5. पर्यावरणीय धारणीयता एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

क. सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा 16 शहरों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के माध्यम से सेंट्रल एम्बीएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना

ख. एसईसीएल द्वारा एनएच–78 (मध्य प्रदेश के शहडोल से छत्तीसगढ़ सीमा तक 100 कि.मी. तक) पर एनएचएआई के ग्रीन हाइवे कार्यक्रम के अंतर्गत सड़क किनारे पौधा रोपण

ग. एसईसीएल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के हरिहर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को सहायता

6. पेयजल

क. सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियमित पेयजल उपलबध कराने हेतु हैंडपंप लगाना

ख. सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित पेजयल प्रदान करने तथा जल जन्य बीमारियों को रोकने हेतु आरो प्लांट/आरसेनिक शमन परियोजनाओं की स्थापना

7. ग्रामीण विकास परियोजनाएं

क. एनसीएल द्वारा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचना विकास कार्य (जैसे कि सिंचाई चैनल, समुदायिक हॉल का निर्माण तथा सोलर हाईमास्ट लाइट लगाना आदि)

ख. डब्ल्यूसीएल द्वारा निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न अवसंरचना विकास कार्य (जैसे कि तालाबों को गहरा करना, कंक्रीट सड़कों एवं सामुदायिक हॉलों का निर्माण तथा स्कूलों का डिजीटलीकरण)

ग. सीआईएल (मुख्यालय) द्वारा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में 40 गांवों में समग्र विकास कार्य (कृषि एवं हरियाली, नवीकरणीय ऊर्जा, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान–सह–मनोरंजन केंद्रों का निर्माण।

8. खेलकूद को बढ़ावा देना

क. बच्चों को शैक्षिक इनपुट सहित स्पोर्टस कोचिंग प्रदान करने के लिए सीसीएल द्वारा रांची में स्पोर्टस अकादमी का अनुरक्षण

ख. एनसीएल द्वारा खेलकूद में (वॉलीबॉल, कबड्डी तथा एथेलेटिक्स) ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण कैंप।